

वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना

चर्चा में क्यों?

3 अगस्त, 2022 को हरियाणा सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं के हितों में एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा महिला विकास नगिम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिये वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है।

प्रमुख बंदि

- प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत यदलाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशिका भुगतान एकमुश्त या 6 कश्तों में एक दसंबर, 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
- यह योजना उन ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च, 2019 को नगिम को भुगतान के लिये बकाया है। योजना 31 मार्च, 2019 को डफिल्ट रूप से मूल राशिका पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशिका शामिल नहीं होगी।
- ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यद ऋणी बकाया मूल राशिका को एकमुश्त या कश्तों में छह महीने के भीतर चुका देता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिये पात्र होगी।
- छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम कश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल राशिका भुगतान कर देंगे।